अधिसूचना

20 जून, 2014

सं0 एफ–9(21) RG/UERC/2013/558– उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61(h) के साथ पठित धारा 181 (2) (zc) के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य सभी शक्तिओं का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् एतद् द्वारा उविनिआ (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एंव अन्य निबंधन) विनियम, 2013 (मुख्य विनियम) तथा उसमें इसके पश्चात किये गये संशोधन में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थातः–

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और निर्वचन

(1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एंव अन्य निबंधन (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2014 होगा।

(2) ये विनियम 01 अप्रैल, 2014 से प्रवृत्त होगें।

2. मुख्य विनियमों के विनियम 14 (7) में संशोधनः–

मुख्य विनियमों के विनियम 14 (7) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जायेगाः–

" परन्तु पूंजीगत कोई भी अतिरिक्त व्यय जो प्राकृतिक आपदा (किन्तु उत्पादक कम्पनी की लापरवाही के फलस्वरूप पावर हाउस में पानी भर जाने के कारण नहीं) द्वारा क्षतिग्रस्त होने के कारण आवश्यक हो जाये आयोग द्वारा कुशल जांच के पश्चात् इन विनियमों के अधीन आये सभी उत्पादक स्टेशनों के लिए किसी बीमा योजना से प्राप्त राशि के समायोजन के पश्चात् अतिरिक्त पूंजीकरण के रूप में अनुमन्य होगा उपरोक्त रूप से स्वीकार्य अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के लिये शुल्क में उपयुक्त समायोजन, विनियमों के अध्याय 4 व 5 में दिये गये मानकों के आधार पर उस परियोजना के शेष जीवनकाल हेतु अनुमन्य होगा।

परन्तु इस प्रकार से अतिरिक्त पूंजीकरण की अनुमति उसी दशा में होगी यदि उपर प्रथम परन्तुक में उल्लिखित प्राकृतिक आपदा को घटित होने के समय पर उत्पादक स्टेशन हेतु उपयुक्त और पर्याप्त बीमा कवर उपलब्ध था।"

3. मुख्य विनियमों के विनियम 26 में संशोधन

मुख्य विनियमों के विनियम 26 को हटा दिया गया है तथा इसके स्थान पर निम्नलिखित को स्थापित किया जाएगा:

" 26 शुल्क की अनुप्रयोज्यता

शुल्क की वसूली निम्नलिखित तरीके से अनुमन्य होगी:

(1) *जेनरिक शुल्क का विकल्प चुनने वाले उत्पादकों के लिये:*

i. *जब तक वास्तविक CUF 40% वार्षिक CUF से कम या उसके बराबर है, शुल्क 40% के मानकीय CUF के आधार पर ज्ञात इन संशोधित विनियमों में विनिर्दिष्ट स्तरीकृत जेनरिक दरों पर देय होंगे।*

ii. 40% के वार्षिक CUF से अधिक उत्पादन हेतु निम्नलिखित लागू होगा:

(a) *40% के वार्षिक CUF से अधिक किन्तु 45% के वार्षिक CUF तक शुल्क रू0 1.50/kWh होगा।*

(b) *45% के वार्षिक CUF अधिक उत्पादन पर प्रोत्साहन रू0 0.75 प्रति kWh घटा कर 45% के CUF पर मुख्य विनियमों में विनिर्दिष्ट स्तरीकृत जेनरिक दरों के बराबर होगा। यह रू0 0.75/kWh की घटौती वास्तविक वार्षिक CUF के 55% पहुंच जाने तक केवल पश्चात्वर्ती मासिक बिलों से की जायेगी ।*

(c) *परन्तु आगे यह कि 55% के वार्षिक CUF से आगे उत्पादन हेतु प्रोत्साहन 45% के CUF पर मुख्य विनियमों में विनिर्दिष्ट स्तरीकृत दरों के बराबर होगा।*

(2) *परियोजना विशिष्ट शुल्कों हेतु विकल्प चुनने वालों के लिये सम्पूर्ण लागत तय हो जाने पर, लागू CUF (अर्थात अनुमोदित डीपीआर में परिकल्पित या अध्याय–5 के अधीन सुसंगत प्रौद्योगिकी हेतु विनिर्दिष्ट मानकीय CUF, दोनो में जो उच्चतर हो) से अधिक उत्पादन के लिये शुल्क, मुख्य विनियमों में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट जेनरिक शुल्क से वसूल करने की अनुमति दी जाएगी ।*

(3) *वार्षिक CUF, मुख्य विनियमों के विनियम 3(7)(एफ) में विनिर्दिष्ट सिद्धान्तों के अनुसार प्रमाणित किया जायेगा "*

4. मुख्य विनियमों के विनियम 28 में संशोधन :

मुख्य विनियमों का विनियम 28 इस तरह पढ़ा जायेगा :

"लघु जल विद्युत उत्पादन स्टेशनों के लिये जेनरिक शुल्कों के अवधारण हेतु प्रौद्योगिकी विशिष्ट मानदंड निम्नलिखित रूप में होगें :

01.04.2013 को या उसके पश्चात् कमीशन्ड परियोजनाएं

परियोजना आकार	पूंजी लागत	कमीशनिंग के वर्ष हेतु O&M व्यय	क्षमता उपयोगिता कारक	अनुशंगी खपत
	(रू0 लाख/MW)	(रू0 लाख/MW)	%	%
5MW तक	785	26.43	40%	1%
5MW और 15MW तक	750	22.73		
15MW और 25MW तक	715	19.03		

नोट : इस विनियम के प्रयोजन से, मानकीय CUF अन्तः संयोजन बिन्दु से प्रेषित विद्युत पर आधारित है और शुल्क के प्रयोजनों से, विकासकर्ता द्वारा अभिबन्ध गृह राज्य की निशुल्क ऊर्जा, यदि कोई है,का ऊर्जा शुल्क लिया जायेगा। जनेरिक शुल्क अवधारण हेतु गृह राज्य अ"I 16 वें वर्ष से आगे 18% लिया गया है।

1. ***01.04.2013 को या उसके पश्चात् कमीशन्ड SHPs (25 MWतक) के लिये स्थिर प्रभारों की स्तरीकृत दर (RFC) रू0/kWh में***

विवरण	5MW तक	5से ऊपर और 15MW तक	15से ऊपर और 25MW तक
सकल शुल्क	4.75	4.52	4.21
घटा करः त्वरित मूल्य ह्रास	0.35	0.35	0.35
शुद्ध शुल्क	4.40	4.17	3.86